



62801 कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0242/OA-521/2022/2023-24

दिनांक:-

Date: 07.03.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of additional information with respect to the submitted Action Taken Report on dated 19.02.2024 in pursuant to order in addition to action taken report in pursuant to order dated 08.01.2024 and dated 17.10.2023 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 521/2022 Sampurna Nand V/s. State of U.P.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 08.01.2024 and dated 17.10.2023 in the matter of O.A. No. 521/2022 Sampurna Nand V/s. State of U.P., the action taken report has filed by UPPCB vide letter dated 19.02.2024. Additional information in addition to J.C.R. is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

Additional information with respect to the submitted Action Taken Report on dated 19.02.2024 in pursuant to order dated 08.01.2024 and dated 17.10.2023 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 521/2022 Sampurna Nand vs. State of U.P.& Ors.

1. As per the recommendations made by Joint Committee report dated 06.01.2024, UPPCB has issued Show Cause Notices to all 26 Stone Crushers and 40 Mining Leases under section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) for closing down the operation of unit and imposition of Environmental Compensation for violation period vide Letters dated-12.01.2024. All show cause notices were got received by UPPCB official to concerned Stone Crushers and Mining Leases on dated 19.01.2024 and 20.01.2024.
2. As per the available records and facts observed during visit on 08.02.2024 and 09.02.2024 and recommendation sent by RO, UPPCB, Sonbhadra, U.P. Pollution Control Board has issued closure orders to 21 stone crushers and 40 mining leases vide letters dated 19.02.2023 after giving due opportunity as per law. Both lists with order's copy are attached as Annexure-1.
3. As per the available records and facts observed during visit on 08.02.2024 and 09.02.2024 and recommendation sent by RO, UPPCB, Sonbhadra, U.P. Pollution Control Board has imposed environmental compensation on 25 stone



crushers and 39 mining leases vide letters dated 19.02.2023 after giving due opportunity as per law. Both lists with order's copy are attached as Annexure-2.

4. In order to ensure the compliance of closure orders of 21 stone crushers issued by UPPCB vide letter dated 19.02.2024, District Magistrate, Mirzapur had constituted the joint committee vide ref. No. G0227/O.A. No. 521/2022/2023 dated 04.03.2023 (Copy enclosed as Annexure-3). The Joint committee visited the site and sealed all the 21 stone crusher units. Compliance report and photographs about sealing proceedings are enclosed as Annexure-4.
5. In order to ensure the compliance of closure orders issued to 40 mining leases by UPPCB vide letter dated 19.02.2024, District Magistrate, Mirzapur has directed to Mining Officer, Mirzapur vide reference no. G0228/OA-521/2022/2023 dated 04.03.2024 (Copy enclosed as Annexure-5).
6. That it is submitted that 01 stone crusher namely M/s JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR vide their letter dated 04.03.2024 has informed that the amount of Rs. 7,06,250/- (Seven Lacs Six Thousand Two Hundred Fifty Only) had deposited into bank account of UPPCB, whose UTR no. is HDFCR 52024030485193467 (Annexure No.-6).

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 07.03.2024


(U.K. Gupta)

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Sonbhadra

List of Stone Crushers Units Closure Order issued in the matter of O.A. No. 521 of 2022 Sampurna Nand Vs. State of U.P.

| S.No | District | Name and address of the Stone Crushers Units | Closure order issued vide reference No. | Date of Closure order issued |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 1 | MIRZAPUR | M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7230/C-2/NGT-67 | 19.02.2024 |
| 2 | MIRZAPUR | M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7229/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 3 | MIRZAPUR | M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7228/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 4 | MIRZAPUR | M/S SHRI BAJARANG STONE BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7227/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 5 | MIRZAPUR | M/S NEW ASHATBHUJA STONE BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7226/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 6 | MIRZAPUR | M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7225/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 7 | MIRZAPUR | M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7224/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 8 | MIRZAPUR | M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEI, CHUNAR MIRZAPUR | HO7223/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 9 | MIRZAPUR | M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7222/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 10 | MIRZAPUR | M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT) ARAZI NO. 704 MI, VILL. BHAGWATI DEI, POST-PATIHATTA, PARGANABHAGWAWT, TEH. CHUNAR, DISTT. | HO7221/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 11 | MIRZAPUR | M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/S MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTIDEI, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7220/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 12 | MIRZAPUR | M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR. | HO7219/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 13 | MIRZAPUR | M/S ELIT STONES BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7218/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 14 | MIRZAPUR | M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRA TECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03)), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR | HO7217/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 15 | MIRZAPUR | M/S P.B.R. INFRA TECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR | HO7216/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 16 | MIRZAPUR | M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR | HO7215/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 17 | MIRZAPUR | M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR | HO7214/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 18 | MIRZAPUR | M/S BANSANT KUMAR (Ex. Name M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR | HO7213/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 19 | MIRZAPUR | M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR | HO7212/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 20 | MIRZAPUR | M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR | HO7211/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |
| 21 | MIRZAPUR | M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION , SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. | HO7210/C-2/NGT-67/24 | 19.02.2024 |



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6285
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

1407230/C-2/NGT-67

दिनांक

Date

19-2-24
पजीकृत

M/s RAJU STONE PRODUCT,
BHAGAUTI DEL, PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



6286 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

M/S S.U. ENTERPRISES,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24
पंजीकृत

यह कि M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उद्योग दिनांक 23.08.2023 को सील किया गया था। अद्यतन निरीक्षण के समय सील सुरक्षित पायी गयी थी। प्लांट एण्ड मशीनरी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पायी गयी। उद्योग को सहमति आदेश प्राप्त नहीं हैं भौतिक तथ्यों से परिलक्षित हुआ कि उद्योग विगत कई वर्षों से बन्द है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से यथावत् बंद रखा जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोकें जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 B, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6287
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

H07220/C-2/NCT-67/24

दिनांक

Date

19-2-24

पंजीकृत

M/S ABHIYAN CONSTRUCTION,
CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

6288

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

1407227/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date

19-2-24
पंजीकृत

M/S SHRI BAJARANG STONE,
BHAGAUTI DEL, PATHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL, PATHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL, PATHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6289
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

M/S NEW ASHATBHUJA STONE,
BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24
पंजीकृत

यह कि M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6290
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

1407225/C-2/NET-67/24

दिनांक

Date

19-2-24

पंजीकृत

M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE),
BHAGAUTI DEI, PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

H07224/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date

19.2.24

पंजीकृत

M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEL. PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



6292
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

सेवा में,

M/S RAUF KHAN,
BHAGAUTI DEL, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24

पंजीकृत

यह कि M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6293
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

1407222/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date

19-2-24

पंजीकृत

M/S RAJESH BHAI PATEL,
ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

14072 21 / C-2 / NGT - 67 / 24

दिनांक

Date 19-2-24

पंजीकृत

M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT),

ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, BHAGAWT, CHUNAR, MIRZAPUR.

यह कि M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, BHAGAWT, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, BHAGAWT, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोकें जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



6295 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS),
BHAGAUTI DEL, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24
पंजीकृत

यह कि M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है-

1. यह कि M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gornti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



6296
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

H07219/c-2/NGT-67/24
M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24
पंजीकृत

यह कि M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR, में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोकें जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone crusher order



6297
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

M/S ELIT STONES,
BHAGAUTI DEL, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24
पंजीकृत

यह कि M/S ELIT STONES, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S ELIT STONES, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6298
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

1107217/C-2/MGT-67/24

दिनांक

Date

19-2-24
पंजीकृत

M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD

(FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR MIRZAPUR.

यह कि M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोकें जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V. Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6299
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD.,
UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24
पंजीकृत

यह कि M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6300
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

1107215 / C-2 / NCT-67/24

दिनांक

Date

19-2-24

पंजीकृत

M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT),
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

12 V, Vibhuti-Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6301
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

H-07214/C-2/NCT-67/24

दिनांक

Date

19-2-24

M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR, में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T. C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com (free domain)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



6302
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

1907213/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date 19-2-24

पंजीकृत

M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र रतार से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V. Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



6303
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

M/S IDEAL VISIONS,

ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

19-2-24

पंजीकृत

यह कि M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT- MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT- MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6304
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

H07210/सा-2/MGT-67/24

दिनांक

Date

19-2-24

पंजीकृत

M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION,
SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राक्धानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोक जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6305
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

H-07211/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date

19.2.24

पंजीकृत

M/S UMA STONE WORKS,
ARAZI NO-140, 57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

| S.N o. | Name & Address of Mining lease holders | Details of mining leases | | | | Closure order issued vide reference No. | Date of Closure order issued |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| | | Tehsil | Village | Area (Acre) | Gata No./ Arazi No. | | |
| 1 | श्री राजेश भाई परतेल पुत्र सश जगदीश सिंह मिठारी- 208-209/मिठारी- मीरजापुर, बुनार जनपद-मीरजापुर। | बुनार | भगीतीदेई | 180/2 | 5 | HO7169/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 2 | श्री विठ्ठल प्रभा पुत्र श्री रामराम श्री राम- सावना/ 180- बुनार, जनपद-मीरजापुर। | बुनार | सावना | असं- 03 | 5 | HO7170/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 3 | श्री श्री अमृत सिंह मनी श्री विजय सिंह, मिठारी-208-01-02/18/ए-3, बरियामावा, राम असं 001, मेरगाज सहर, जनपद-मिठारी। | बुनार | भगीतीदेई | 728 | 2.5 | HO7168/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 4 | श्री श्री सुनील कुमार शरदेव पुत्र श्री देवी प्रसाद शरदेव, मिठारी-बावनास हरखन को श्री मनी जगदीशज जनपद-मिठारी। | बुनार | भगीतीदेई | 730 | 2 | HO7167/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 5 | श्री (अशोक) शिवराम प्रशान्त श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री देवनाथ मिठारी- 54415A, असं/मिठार अराजिअट अश जनपद-मिठारी। | बुनार | सोनपुर | 142 | 2.5 | HO7166/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 6 | श्री सुन बचन पुत्र श्री सेतू, मिठारी धाम-सोनपुर, महातीस-बुनार जनपद- मीरजापुर। | बुनार | सोनपुर | 170 | 3 | HO7165/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 7 | श्री राजेशु श्री प्रीत श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विजयनाथ मिश्रा मिठारी धाम-दिलखत, मजहरा, जनपद-मीरजापुर। | बुनार | सोनपुर | 142 | 2.5 | HO7164/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 8 | श्री (अशोक) अश्वरजान कश्यप प्रीत श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रसाद सिंह, मिठारी- राजगाट अथवा कोतवाली शहर जनपद-मीरजापुर। | बुनार | सोनपुर | 100 | 5 | HO7163/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 9 | श्री श्री इशिता सतीश प्रीत श्री निखिलेश सिंह पुत्र श्री अश्वरजान सिंह, मिठारी धाम-अदमपुरा, असं 5 महातीस-बुनार, जनपद-मीरजापुर। | बुनार | सोनपुर | 100 | 2 | HO7162/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 10 | श्री दिनेश विजयान सिंहदेव, कापरेवट श्री दिनेश सुंदरानी पुत्र सश सिंह नारायण सुंदरानी, मिठारी धाम 09-05 इमराहट गोविन्द नारायण सिंह रोड बुनार नदती बरेबर रोड, भोपाल मिठारी। | बुनार | सोनपुर | 100 | 2.5 | HO7161/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 11 | श्री दिनेशरामिनी इन्दरप्रसाद, प्रीत श्री राजेश प्रसाद प्रसाद पुत्र सश रामरामि प्रसाद, मिठारी-मुठिनारी, धोरावन, जनपद-सोनभद्र। | बुनार | सोनपुर | 157 | 4 | HO7160/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 12 | श्री अश्वरजी शरदेव पुत्र श्री विरजू, मिठारी-देवनाथपुर, अदम, जनपद- मीरजापुर। | बुनार | भगीतीदेई | 703 | 2 | HO7159/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 13 | श्री राजेश भाई परतेल पुत्र सश जगदीश, मिठारी-समरसली, घोस्ट-मिठारी, महातीस-बुनार, जनपद-मीरजापुर। | बुनार | भगीतीदेई | 180/2 Serial No. 28 | 3 | HO7158/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 14 | श्री राजेश भाई परतेल पुत्र सश जगदीश, मिठारी-समरसली, घोस्ट-मिठारी, महातीस-बुनार, जनपद-मीरजापुर। | बुनार | भगीतीदेई | 180/2 Serial No. 19 | 3 | HO7157/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 15 | श्री राजेश नारायण सिंह अश्वरजान प्रशान्त, प्रीत श्री राजेश नारायण सिंह पुत्र सश देवराज सिंह, मिठारी धाम-महाथनपुर, घोस्ट-बेनारी, रोहतास, मिठारी। | बुनार | भगीतीदेई | 180/2 Serial No. 20 | 3 | HO7156/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 16 | श्री जगद जगद पुत्र श्री जनी जमीर को, मिठारी धाम-महाथनपुर, धोस्ट-अदमहाट महातीस-बुनार, जनपद-मीरजापुर। | बुनार | भगीतीदेई | 730 | 2.5 | HO7155/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 17 | श्री राजेश नारायण सिंह अश्वरजान प्रशान्त, प्रीत श्री राजेश नारायण सिंह पुत्र सश देवराज सिंह, मिठारी धाम-महाथनपुर, घोस्ट-बेनारी, रोहतास, मिठारी। | बुनार | भगीतीदेई | 732 Serial No. 21 | 2.5 | HO7154/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 18 | श्री राजेश नारायण सिंह अश्वरजान प्रशान्त, प्रीत श्री राजेश नारायण सिंह पुत्र सश देवराज सिंह, मिठारी धाम-महाथनपुर, घोस्ट-बेनारी, रोहतास, मिठारी। | बुनार | भगीतीदेई | 732 Serial No. 18 | 2.5 | HO7153/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----|------------------------|------------|
| 36 | श्री. (क) शिवजी अर्जुन एकरे मिनवला या) श्री. माता पुनार या) श्री. राम प्रसाद निवासी-राम-पहाडपुर जयपुर-मिर्जापुर जयपुर-बोडा। | पुनार | भगौलीदेई | 180/2 | 2.5 | HO7135/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 37 | श्री. माता गणेश सिंह पुत्र श्री. महादेव सिंह निवासी-राम-जयपुर लहरील-बोडापुर जयपुर-मिर्जापुर। | पुनार | भगौलीदेई | 730 | 2.5 | HO7134/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 38 | श्री. अमर सिंह पुत्र श्री. जगत महदेव सिंह निवासी-राम-जयपुर अहरील लहरील-पुनार जयपुर-मिर्जापुर। | पुनार | भगौलीदेई | 705 | 2.5 | HO7133/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 39 | श्री.मती विजया सिंह पत्नी श्री. रंजना कुमार सिंह निवासी-राम-बोडा लार (पत्नी) श्री-अदरकर जयपुर-मिर्जापुर। | पुनार | भगौलीदेई | 705 MI | 2.5 | HO7132/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |
| 40 | श्री. मीरज सुभाषराव पुत्र श्री. हरिचंकर जयकाय निवासी-राम द. श्री- पटिकटा लहरील-पुनार जयपुर-मिर्जापुर। | पुनार | भगौलीदेई | 703 | 2.5 | HO7131/C-2/NGT-67/2024 | 19.02.2024 |



6309 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H07169/सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार,
जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार,
जनपद-मिर्जापुर(गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित
स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत
एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.
2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था
स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate
(CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र
दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण
बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड
को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को
पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा
31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र
को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,
1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार,
जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का
विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को
निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की
प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07170

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० आ०सं०- 03, लीज एरिया 5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-चुनार, जनपद-मिर्जापुर(गाटा सं० आ०सं०- 03, लीज एरिया 5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। उद्योग को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति CTO प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय खनन इकाई में खनन कार्य बन्द पाया गया। खनन विभाग की सूचनानुसार उक्त पट्टा के पक्ष में दिनांक 14.03.2012 से 12.03.2022 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित था, जिसकी अवधि दिनांक 12.03.2022 को समाप्त हो गयी थी। तददिनांक से ही उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य संचालित नहीं है। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० आ०सं०- 03, लीज एरिया 5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से यथावत बंद रखा जायें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6311 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO/3169

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-म0सं0-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-म0सं0-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी(गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-म0सं0-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6312 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.H07167.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मैसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बांकलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मैसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बांकलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर(गाटा सं० 730, लीज एरिया 2 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मैसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बांकलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6313
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07166

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० लाईफमैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी- 51415 ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० लाईफमैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी- 51415 ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० लाईफमैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी- 51415 ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6314
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07165.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 170, लीज एरिया 3 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, जनपद- मीरजापुर(गाटा सं० 170, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 170, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6315
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO.3164

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date. 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर(गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6316 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07163

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह,
निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर(गाटा सं० 1क, लीज एरिया 5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6317
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07162

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० माँ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० माँ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर(गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० माँ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोकें जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6318 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07161

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०) (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०)(गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०) (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6319 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO.7.160

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक,
निवासी-मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 157, लीज एरिया 400 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक,
निवासी-मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनभद्र(गाटा सं० 157, लीज एरिया 400 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के
कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित)
की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.
2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था
स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate
(CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र
दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण
बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड
को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को
पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा
31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र
को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,
1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुड़िलाडीह,
घोरावल, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 157, लीज एरिया 400 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद
कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का
विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को
निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की
प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6320 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07159.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार, जनपद- मीरजापुर(गाटा सं० 703, लीज एरिया 2 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6321
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO7158.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 28, लीज एरिया 3 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर(गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 28, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु
उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की
धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.
2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था
स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate
(CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र
दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण
बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड
को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को
पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा
31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र
को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,
1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर
(गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 28, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का
विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को
निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की
प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



6322 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07157

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 19, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर(गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 19, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु
उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की
धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.
2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था
स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate
(CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र
दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण
बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड
को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को
पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा
31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र
को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,
1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर
(गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 19, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का
विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को
निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की
प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6323 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H.O. 156

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 180/2 कम सं० 20, लीज एरिया 3 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार(गाटा सं० 180/2 कम सं० 20, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 180/2 कम सं० 20, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6324
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07155

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर(गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6325
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07154

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 कम सं० 21, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार(गाटा सं० 732 कम सं० 21, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 कम सं० 21, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6326
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO/153.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 कम सं० 18, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार(गाटा सं० 732 कम सं० 18, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 कम सं० 18, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6327
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07152.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र(गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6328 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07151.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मो0-रमेडी तरौस, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी मोनं0-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 497 व 198, लीज एरिया 5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मो0-रमेडी तरौस, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी मोनं0-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ(गाटा सं० 497 व 198, लीज एरिया 5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मो0-रमेडी तरौस, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी मोनं0-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 497 व 198, लीज एरिया 5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12-V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com State closure order



6329
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H03150

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती,
जनपद-मुरादाबाद (गाटा सं० 1क (ख०सं०-40), लीज एरिया 3 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद(गाटा सं० 1क (ख०सं०-40), लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद (गाटा सं० 1क (ख०सं०-40), लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6330 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07149

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती,
जनपद-मुरादाबाद (गाटा सं० 1क (ख०सं०-39), लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद(गाटा सं० 1क (ख०सं०-39), लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद (गाटा सं० 1क (ख०सं०-39), लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com State nature order



6331 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07148

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0-भटवा के पोखरी, तहसील-सदर,
जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0-भटवा के पोखरी, तहसील-सदर,
जनपद-मीरजापुर(गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित
स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत
एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.
2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था
स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate
(CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र
दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण
बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड
को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को
पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा
31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र
को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,
1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0-भटवा के पोखरी, तहसील-सदर,
जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का
विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को
निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोकें जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की
प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6332 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07147

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र
(गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र(गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6333
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07146

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी(गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com State dotnet order



6334 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07145

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी(गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



6335 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07144

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद-जौनपुर (गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद-जौनपुर (गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद-जौनपुर (गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Show closure order



6336
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07143

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-07, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल(गाटा सं० 705 खण्ड नं०-07, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-07, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6337
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07142

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-06, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल(गाटा सं० 705 खण्ड नं०-06, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-06, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6338
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07141

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-08, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल(गाटा सं० 705 खण्ड नं०-08, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-08, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

Stone closure order



6339 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07140

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-म०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैण्ट, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-म०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैण्ट, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ(गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-म०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैण्ट, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6340
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07139

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर,
थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ(गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6341 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H09138.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्र० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा. कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 3 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्र० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा. कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्र० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा. कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6342
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H071137

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना-बहेड़ी,
जनपद-बरेली (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना-बहेड़ी,
जनपद-बरेली(गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल
पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक
कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.
2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट संप्रेशन की व्यवस्था
स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate
(CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र
दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण
बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड
को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को
पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा
31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र
को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,
1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना-बहेड़ी, जनपद-बरेली (गाटा
सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का
विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को
निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की
प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6343
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07136

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा पोस्ट- पीला कोठी, थाना-कोतवाली कर्वा, जनपद-चित्रकूट (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा पोस्ट- पीला कोठी, थाना-कोतवाली कर्वा, जनपद-चित्रकूट(गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा पोस्ट- पीला कोठी, थाना-कोतवाली कर्वा, जनपद-चित्रकूट (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6344
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H03175

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बाँदा (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बाँदा(गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बाँदा (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

Stone closure order



6345
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07134

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर,
जनपद-गाजीपुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर(गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com State secure order



6346
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H04133

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरौरा, तहसील-चुनार,
जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरौरा, तहसील-चुनार,
जनपद-मिर्जापुर(गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित
स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत
एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.
2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था
स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate
(CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र
दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण
बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड
को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को
पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा
31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र
को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,
1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर
(गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का
विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को
निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की
प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6347
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07132

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी),

पो0-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी), पो0-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर(गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी), पो0-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6348
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO.131

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो0- पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो0- पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर(गाटा सं० 703, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो0- पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

Stone closure order

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, SONBHADRA

Status of EC to be imposed on 26 Stone Crusher Units of the 04 Villages i.e. Bhagauti Del, Sonpur, Bihaur and Chakuta, District-Mirzapur in the matter of O.A. No. 521 of 2022

Sangarna Nand Ya, State of U.P.

| S.No. | District | Name and address of the Stone Crushers Unit/Units | EC imposed vide ref. No. | EC imposed vide letter dated | EC Status | | | Calculated Environmental Compensation to be imposed (Rs.) | Remark |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Defaulting Period | | No. of Defaulter Days | | |
| | | | | | From | To | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | MIRZAPUR | M/S ABHIVAN CONSTRUCTION, CHAKIATA, AIBRALRA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7237/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 2 | MIRZAPUR | M/S MAA GAYATHI STONE WORKS, SONPUR, AIBRALRA, CHUNAR | HO7233/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 06.01.2024 | 113 | 706250 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 3 | MIRZAPUR | M/S MAHAKAL MINING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. | HO7255/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 4 | MIRZAPUR | M/S P.N.C. INFRASTECH LTD, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7231/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 06.01.2024 | 113 | 706250 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 5 | MIRZAPUR | M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 14837 ka, SONPUR BHAGWAT AIBRALRA CHUNAR MIRZAPUR | HO7254/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 6 | MIRZAPUR | M/S IDHAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSE-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR | HO7253/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 7 | MIRZAPUR | M/S BANSANT KUMAR (Ex. Name M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSE- | HO7252/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 8 | MIRZAPUR | M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSE-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR | HO7251/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 9 | MIRZAPUR | M/S R.E. CONSTRUCTION CO, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSE-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR | HO7232/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 23.08.2023 | 48 | 300000 | - |
| 10 | MIRZAPUR | M/S MAA SHEILA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSE-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR | HO7230/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 11 | MIRZAPUR | M/S P.B.E. INFRA TECH PRIVATE LTD, UNIT-04, VILL-SONPUR, TEH-CHUNAR, MIRZAPUR | HO7240/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 12 | MIRZAPUR | M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.E. INFRA TECH PRIVATE LTD, (STONE CRUSHER UNIT-07), VILL-SONPUR, TEH-CHUNAR, MIRZAPUR | HO7248/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 13 | MIRZAPUR | M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS) BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7254/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 06.01.2024 | 113 | 706250 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 14 | MIRZAPUR | M/S FLIT STONES BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7247/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 15 | MIRZAPUR | M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7246/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 16 | MIRZAPUR | M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/S MAA VONDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTIDEL, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7245/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 17 | MIRZAPUR | M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 18972, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7244/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 18 | MIRZAPUR | M/S RAJ STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7236/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.05.2022 | 31.12.2022 | 248 | 1500000 | - |
| 19 | MIRZAPUR | M/S RAUT KIRAN, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7243/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 23.08.2023 | 48 | 300000 | - |
| 20 | MIRZAPUR | M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7242/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 21 | MIRZAPUR | M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7241/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 22 | MIRZAPUR | M/S NEW ASHATRIHUA STONE, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7240/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 23 | MIRZAPUR | M/S SHRI RAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7239/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 24 | MIRZAPUR | M/S JAY MAA DURGA MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR | HO7235/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 06.01.2024 | 113 | 706250 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |
| 25 | MIRZAPUR | M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT) ARAZI NO. 704 ML VILL. BHAGWATI DEL, POST-PATHIATTA, PARGANA BHAGWAT, TEH CHUNAR, DIST, MIRZAPUR (U.P.) | HO7238/C-2/NGT-67-24 | 19.02.2024 | 06.07.2023 | 08.02.2024 | 146 | 912500 | EC imposed leaving 72 days as unit was sealed on dated 22.06.2023 & permitted to operated on 02.11.2023 by HO. |



6350

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H.07255/C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION,
SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.comटी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com



6351

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

H07254/C-2/NGT-67/24

सेवा में

M/S UMA STONE WORKS,
ARAZI NO-140, 57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No. H07253/C-2/NGT-67/24

सेवा में

M/S IDEAL VISIONS,
ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR

दिनांक

Date

विषय: M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT- MIRZAPUR. पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6353

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

सेवा में

H07252/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.
के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 28 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु ₹0 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹0 9,12,500/- (₹0 नौ लाख बारह हतार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR. पर ₹0 9,12,500/- (₹0 नौ लाख बारह हतार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कौड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V. Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

AMV



6354
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H07257 /C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनिशन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



6355
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 140725-C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT),
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 28 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रु० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रु० 9,12,500/- (रु० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR. पर रु० 9,12,500/- (रु० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

टी.सी.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6356
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

4072-49/C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD.,
UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु ₹० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹० 9,12,500/- (₹० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR. पर ₹० 9,12,500/- (₹० नौ लाख बारह हत्तर पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



6357
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07248 /C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD
(FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR
MIRZAPUR.

विषय: M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No. **H07247/C-2/NGT-67/24**

सेवा में

M/S ELIT STONES,
BHAGAUTI DEL. CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S ELIT STONES, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु ₹० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹० 9,12,500/- (₹० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S ELIT STONES, BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR. पर ₹० 9,12,500/- (₹० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6359

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07246 /C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEL, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6360 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H072457C-2/NGT-67/24

सेवा में,

दिनांक

Date: 19-02-2024

M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS),
BHAGAUTI DEL, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEL, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मुद्द में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C. 42 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com



6361
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. **H07244 /C-2/NGT-67/24**

सेवा में,

M/S RAJESH BHAI PATEL,
ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

J.C. - 12th, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

8888



6362
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H-07243 /C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S RAUF KHAN,
BHAGAUTI DEL CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 28 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 48 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रु० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुनोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR. पर रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

दिनांक

Ref. No H07242/C-2/NGT-67/24

Date: 19-02-2024

सेवा में

M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEL. PATHIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL. PATHIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL. PATHIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



6364
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H-07241 /C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE),
BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रु० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रु० 9,12,500/- (रु० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रु० 9,12,500/- (रु० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-LUBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



6365

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

H-07240/C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/S NEW ASHATBHUJA STONE,
BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की सस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6366
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 1407239/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S SHRI BAJARANG STONE,
BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु ₹0 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹0 9,12,500/- (₹0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर ₹0 9,12,500/- (₹0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C-12 B, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6367 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H07238/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT),
ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, BHAGAWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, BHAGAWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, BHAGAWAT, CHUNAR, MIRZAPUR पर रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C., 12 V. Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6368 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H/072-37 /C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/S ABHIYAN CONSTRUCTION,
CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 28 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु ₹0 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹0 9,12,500/- (₹0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR पर ₹0 9,12,500/- (₹0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No

1407236/C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/s RAJU STONE PRODUCT,
BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 240 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रु० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रु० 15,00,000/- (रु० पन्द्रह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रु० 15,00,000/- (रु० पन्द्रह लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6370
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No / 407235 / C-2 / NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में

M/s JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT,
BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 113 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु ₹० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹० 706250/- (₹० सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर ₹० 706250/- (₹० सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6371 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H-07234 /C-2/NGT-67/24

सेवा में

M/s ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS),
BHAGAUTI DEI, PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS), BHAGAUTI DEI, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 113 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 706250/- (रू० सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS), BHAGAUTI DEI, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 706250/- (रू० सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6372 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H07233/C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/s MAA GAYATRI STONE WORKS,
SONPUR, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 28 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 113 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 706250/- (रू० सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 706250/- (रू० सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com



6373

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07232/C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/s R.K. CONSTRUCTION CO.,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S R.K. CONSTRUCTION CO, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 48 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 300000/- (रू० तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S R.K. CONSTRUCTION CO, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू० 300000/- (रू० तीन लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6374
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H07231 /C-2/NGT-67/24

सेवा में

M/ P.N.C. INFRATECH LTD,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date: 19-02-2024

विषय: M/S P.N.C. INFRATECH LTD, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध 113 दिनों के उत्प्लंघन अवधि हेतु रु० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रु० 706250/- (रु० सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S P.N.C. INFRATECH LTD, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रु० 706250/- (रु० सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



6375 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H07130/सी-2/एन0जी0टी0-67/2024
Ref. No

दिनांक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मो0-रमेडी तरौस, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी म0नं0-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं0 497 व 198, लीज एरिया 5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मो0-रमेडी तरौस, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी म0नं0-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं0 497 व 198, लीज एरिया 5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मो0-रमेडी तरौस, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी म0नं0-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं0 497 व 198, लीज एरिया 5 एकड़) पर रू0 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone course order



6376 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07908

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-म0सं0-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-म0सं0-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 139 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 1390000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-म0सं0-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 1390000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6377 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 407207

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मेसर्स मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में उस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 139 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 1390000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मेसर्स मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2 एकड़) पर रू० 1390000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6378 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07206

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० लाईफमैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी- 51415।ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० लाईफमैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी- 51415।ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० लाईफमैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी- 51415।ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6379 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07205

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 170, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 170, लीज एरिया 3 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 170, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6380 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07204

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



6381 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07203

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह,
निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6382 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. ...H07202.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० माँ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2 एकड़) जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० माँ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० माँ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6383
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07201

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०) (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०) (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यान अनुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०) (गाटा सं० 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6384 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07200

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक,
निवासी-मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 157, लीज एरिया 400 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 157, लीज एरिया 400 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 157, लीज एरिया 400 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6385
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO-7199

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार, जनपद- मीरजापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6386 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07198

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 28, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 28, लीज एरिया 3 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 180/2 क्रम सं० 28, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6387 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07197

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 180/2 कम सं० 19, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 180/2 कम सं० 19, लीज एरिया 3 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 180/2 कम सं० 19, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6388
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07196.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह,
निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 180/2 कम सं० 20, लीज एरिया 3
एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर,
पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 180/2 कम सं० 20, लीज एरिया 3 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 180/2 कम सं० 20, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी, के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6389
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. ...HO/195.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6390 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07194

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 क्रम सं० 21, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 क्रम सं० 21, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेषन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 क्रम सं० 21, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6391 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO/3193

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 क्रम सं० 18, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 क्रम सं० 18, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं० 732 क्रम सं० 18, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



6392 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07192

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6393 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07191

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद
(गाटा सं० 1क (ख०सं०-40), लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद (गाटा सं० 1क (ख०सं०-40), लीज एरिया 3 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद (गाटा सं० 1क (ख०सं०-40), लीज एरिया 3 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6394
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07190

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद
(गाटा सं० 1क (ख०सं०-39), लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद (गाटा सं० 1क (ख०सं०-39), लीज एरिया 3 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद (गाटा सं० 1क (ख०सं०-39), लीज एरिया 3 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



6395 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07189

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0-भटवा के पोखरी, तहसील-सदर,
जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0-भटवा के पोखरी, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0-भटवा के पोखरी, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6396
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No 107188.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र
(गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र (गाटा सं० 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6397
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 4071877

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं० 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं० 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं० 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6398 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. NoH07186.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6399 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H07185.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद-जौनपुर (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद-जौनपुर (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यान अनुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद-जौनपुर (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6400 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07184

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-07, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-07, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-07, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, गूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Scan dotmre order



6401
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07187

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-06, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-06, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-06, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6402 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07189

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-08, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-08, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल (गाटा सं० 705 खण्ड नं०-08, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6403 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H.07181

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date: 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-म०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैंप, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैंप, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-म०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैंप, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैंप, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-म०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैंप, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैंप, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store clause order



6404 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07180

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0,
जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6405 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07179

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order



6406
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07178.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर डुन्डा शुमाली, थाना-बहेड़ी,
जनपद-बरेली (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर डुन्डा शुमाली, थाना-बहेड़ी, जनपद-बरेली (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर डुन्डा शुमाली, थाना-बहेड़ी, जनपद-बरेली (गाटा सं० 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6407 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO/31/77

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा पोस्ट- पीला कोठी,
थाना-कोतवाली कर्वा, जनपद-चित्रकूट (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा पोस्ट- पीला कोठी, थाना-कोतवाली कर्वा,
जनपद-चित्रकूट (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा पोस्ट- पीला कोठी, थाना-कोतवाली कर्वा, जनपद-चित्रकूट (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6408 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H071736

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद,
निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बाँदा (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी,
जनपद-बाँदा (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बाँदा (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

- जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6409 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07175.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर,
जनपद-गाजीपुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर (गाटा सं० 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6410
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 107174

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरौरा, तहसील-चुनार,
जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



6411
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07173.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी),
पो0-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी), पो0-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी), पो0-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



6412
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H07172

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो0- पटिहटा, तहसील-चुनार,
जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो0- पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो0- पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 703, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Store closure order.



6413 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO/3171.....

सी-2/एन0जी0टी0-67/2024

दिनांक

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार,
जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 5 एकड़)
जनपद-मिर्जापुर।

विषय: श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2030000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार, जनपद-मिर्जापुर (गाटा सं० 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) पर रू० 2030000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

Stone closure order

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

पत्रांक— G0227 / O.A. No. 521/2022/2023

दिनांक— 04/03/2024

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में आच्छादित 21 स्टोन क्रशर उद्योगों एवं 40 पत्थर खनन परियोजनाओं के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के विभिन्न पत्रों के माध्यम में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। सूची संलग्न है। सूची में अंकित एवं उक्त प्रकरण में आच्छादित 21 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुक्रम में उद्योग की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, चुनार, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
3. क्षेत्राधिकारी (पुलिस), चुनार, मिर्जापुर।

उपरोक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में आच्छादित 21 स्टोन क्रशर उद्योगों की बन्दी सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र के माध्यम से राज्य बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें एवं तत्सूचना से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स आभियात कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स आभियात कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07228 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

WJ
06/03/24
के.के. सोहन
वैज्ञानिक सहायक
(PPCB), लखनऊ

6-3-24
पुनरु (डी)
S. N. मधोप
मीरजापुर


उप जिलाधिकारी
पुनरु, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र0सं0 | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------|-----------|
| 1. | श्री सोहन | सोहन |
| 2. | | |
| 3. | | |

6416

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स ~~महाकाल जालरीज~~ के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स ~~महाकाल जालरीज~~ के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07210 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक- 06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

66/03/24
(के.के. मैर्या)
बैज्ञानिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

6-3-24
(रुमेश सिंह)
G. A. H. Officer
Mirzapur

अजिता अधिकारी
-जुनार, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------------|------------------|
| 1. | श्री अंगुज कुमार सिंह | Anuj Kumar Singh |
| 2. | श्री राजू सिंह | Rajus Singh |
| 3. | | |

6417

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स एस.ए.यू. इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, मुनार, मिर्जापुर के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स एस.ए.यू. इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, मुनार, मिर्जापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07229 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
के.के. मौर्य
बैज्ञानिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ


06.03.24
पृ.प. सिंह
प.प. प्रशासक
मीरजापुर


उपजिलाधिकारी,
मुनार, मिर्जापुर


गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री वृत्तेश, श्रीवाहन |  |
| 2. | श्री शिवशान |  |
| 3. | | |

6418

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स उत्तर स्टोन वर्क्स उ.ग.नं०-140.53 के सौरपुर, उत्तर प्रदेश, जिला, मिर्जापुर के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स उत्तर स्टोन वर्क्स उ.ग.नं०-140.53 के सौरपुर, उत्तर प्रदेश, जिला, मिर्जापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07211 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक- 06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
(कै०के० मौर्या)

वैज्ञानिक सहायक

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सौरपुर


6-3-24
(प्रोफाईल)
G. H. Anur Kumar Singh


उपनिर्देशिका
सौरपुर, मिर्जापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|------------------|------------------|
| 1. | Anur Kumar Singh | Anur Kumar Singh |
| 2. | श्री शुभम मिश्रा | Shubham |
| 3. | | |

6419

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स आइडियल विजय सोनपुर, शिवत, चुनार, मीरजापुर के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स आइडियल विजय (31/03/24) सोनपुर, शिवत, चुनार, मीरजापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07212 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

06/03/24
(के०के० मौर्य)

वैज्ञानिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

6-3-24
(यु०प०के०)
प्र०-न०प०
मीरजापुर

उपजिलाधिकारी,
चुनार, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|------------------|-----------|
| 1. | श्री अनुप मिश्रा | 06/03/24 |
| 2. | श्री न०प०के० | SLKUP |
| 3. | | |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स बसन्त कुमार (पूर्वनाम- श्री राजू रामसिंह) के विरुद्ध एका0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कम्प्लेक्स जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स बसन्त कुमार (पूर्वनाम- श्री राजू रामसिंह) के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07213 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कम्प्लेक्स जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

के.के. शौभा
66/03/24
कै.के. शौभा
कै.के. शौभा
कै.के. शौभा

ग.वि. प्रसाद
6-3-24
ग.वि. प्रसाद
ग.वि. प्रसाद
मीरजापुर

उप जिलाधिकारी
मुना, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र0सं0 | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------------|--------------------|
| 1. | श्री मुकेश कुमार सिंह | <u>Mukesh</u> |
| 2. | श्री मुन्ना सिंह | <u>Munna Singh</u> |
| 3. | | |

6421

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स राज लक्ष्मी इन्डस्ट्रियल सोल्यूशन्स के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स राज लक्ष्मी इन्डस्ट्रियल सोल्यूशन्स के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07214 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

66/03/24
के.के.सोमा
वैज्ञानिक सहायक
(UPPCB), सोनपुर

6-3-24
बृजेश सिंह
5-11-2024
मीरजापुर

उप जिलाधिकारी
मुना, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र0सं0 | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-------|-----------|
| 1. | निलेश | Nish |
| 2. | | |
| 3. | | |

6422

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स ~~मौ. शीतल...~~ (स्टोन क्रशर प्रोटेज) ~~मौ. शीतल...~~ के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स ~~मौ. शीतल...~~ (स्टोन क्रशर प्रोटेज) ~~मौ. शीतल...~~ के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07215 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
(के०के० मौर्या)
जिलाधिकारी, लखनऊ
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


6-3-24
(प्रतिनिधि)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


जिलाधिकारी,
मुन्शीपुर, मीरजापुर


गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री जगज सिंह |  |
| 2. | श्री रामनारायण | रामनारायण |
| 3. | | |

6423

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स पी०की०आर०इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा०लि०, प्रतिर-०५, सोनपुर, बुनार, मीरजापुर के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स पी०की०आर०इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा०लि०, प्रतिर-०५, सोनपुर, बुनार, मीरजापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या-H-०७२16 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग क संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
(के०के०मौर्या)
वैजातिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र


6-3-24
(सुनील सिंह)
प्र-ह-अधीन
मीरजापुर


उपजिलाधिकारी,
बुनार, मीरजापुर


गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री मनीष |  |
| 2. | असरफ |  |
| 3. | | |

6424

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स सत्य नारायन सिंह के विरुद्ध उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स सत्य नारायन सिंह के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र सदर्म संख्या- H-07217 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा यद्यु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-04/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
के.के. साहा
प्रमाणिक सहामक
(UPPCL), मीरजापुर


6-3-24
(प्रमाणिक)
P.P. Singh
मीरजापुर


उपजिलाधिकारी
मुन्ना, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र0सं0 | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-------------------|--------------|
| 1. | श्री फिरोज अंसारी | फ़रोज अंसारी |
| 2. | श्री शिवम शर्मा | SHIVAM |
| 3. | | |

6425

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स डॉ. ए. ए. सिन्हा श्री. ए. ए. सिन्हा के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स डॉ. ए. ए. सिन्हा, श्री. ए. ए. सिन्हा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07218 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/3/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

W
06/03/24
(के०के० मौर्या)
केजात्रिक अहापक
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

6-3-24
(वृत्तीय सिं.)
श्री. ए. ए. सिन्हा
मीरजापुर

24/3/24
उपाजिलाधिकारी,
मुन्ना, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|------------|------------|
| 1. | श्री वल्लभ | श्री वल्लभ |
| 2. | श्री नन्द | नन्द |
| 3. | | |


6426

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स शंशा सागर सिंह (स्टोन क्रशर) अरौरी बी.ई. अरौरी बी.ई. अरौरी बी.ई. के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स शंशा सागर सिंह (स्टोन क्रशर) अरौरी बी.ई. अरौरी बी.ई. अरौरी बी.ई. के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07219 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
(क०क० मौर्या)
वैजापिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


06-3-24
(वृत्तीय निदेश)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


उपजिलाधिकारी,
मुनार, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री शंशा सागर सिंह |  |
| 2. | श्री मन्नाज पांडेय |  |
| 3. | | |

6427

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स नीलिमा सिंह मे.0 में वि.0 का.पी.टी. स्टोर वरुडा के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स नीलिमा सिंह मे.0 में वि.0 का.पी.टी. स्टोर वरुडा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07220/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

06/03/24
(के.के.0 मैर्या)
वैजासिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

0-3-24
(बृजेन्द्र सिंह)
पु.ब. मधुबन
मीरजापुर

उपजिलाधिकारी
पुनार, मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री शैलेश कुमार |  |
| 2. | श्री लाल यादव |  |
| 3. | | |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स राजेश भाई पटेल, उमेश-1842, शौरी देई, पट्टेहरा, चुनार, जिला के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स राजेश भाई पटेल, उमेश-1842, शौरी देई, पट्टेहरा, चुनार, जिला के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07222 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227 /ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक- 06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

06/03/24
(कै० कै० मौर्या)
वैजातिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

6-3-24
(गुणेश सिंह)
ज० बी० अध्येक्षक
मीरजापुर

उपजिलाधिकारी,
चुनार, मिर्जापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------|-----------|
| 1. | श्री शिवकुमार | शिवकुमार |
| 2. | श्री गौतम कुमार | Goutam |
| 3. | | |

6429

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स शाहू स्टोन पौडकर, श्रीगौरीदेई, पट्टिहट्टा, मुन्ना, मिर्जापुर के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स शाहू स्टोन पौडकर, श्रीगौरीदेई, पट्टिहट्टा, मुन्ना, मिर्जापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07230 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

नोट - उक्त उद्योग शाहू स्टोन क्रशर इकाई का मशीनरी डिस्मेन्टल पाथा नामा उद्योग फरिहर में स्थापित डीजी सेट को सीज्ड किया गया

W.P. 103/24
(के.के.मौर्या)


वैज्ञानिक सहायक

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

6-3-24
(सुनील सिंह)
उ० प्र० प्रदूषण
मीरजापुर

उपजिलाधिकारी,
मुन्ना, मिर्जापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री बबलर सिंह |  |
| 2. | | |
| 3. | | |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स 29/03/2024 के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स 29/03/2024 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-03223/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

66/03/24
के.के.0 मौर्य
वै.सा.कि.स.स.स.क

6-3-24
(मु.प्र.कि.)
9-11-प्र.प्र.प्र.प्र.
म.प्र.प्र.प्र.

उपा.जिलाधिकारी
मु.प्र.प्र.प्र.प्र.


गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र0सं0 | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----|-----------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

6431

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स श्री ~~पंकज कुमार~~ ~~दीपू मोदी~~ के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स श्री ~~पंकज कुमार~~ ~~दीपू मोदी~~ के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H- 07224/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक- 06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
(के०के० मोदी)
वैज्ञानिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


6-3-24
(दीपू मोदी)
डी०डी०
मीरजापुर


उपनिर्वाहकारी
युनार, मिर्जापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री पंकज कुमार |  |
| 2. | श्री दीपू मोदी |  |
| 3. | | |

6432

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स रिया उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम- गैंगोविदेव स्टील) श्री श्री सी.डी. एच.ए. चण्डा के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स रिया उद्योग प्राइवेट लिमिटेड,..... (पूर्व नाम- गैंगोविदेव स्टील) श्री श्री सी.डी. एच.ए. चण्डा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07225 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227 /ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/09/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

Wd
66/03/24
(के.के.ओ.मौर्या)
वैज्ञानिक सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

6-3-24
(बृजेश सिंह)
ज.प्र. महेन्द्रा
मीरजापुर

रंजना
उपजिलाधिकारी,
मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र0सं0 | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|----------------|-----------|
| 1. | श्री राजकुमार | राजकुमार |
| 2. | श्री महेश यादव | महेश यादव |
| 3. | | |

6433

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स ~~...सु...अप...शु...~~ स्टोन, आठौती देई, पट्टिहटा, चुनार, मीरजापुर के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स ~~...सु...अप...शु...~~ स्टोन, आठौती देई, पट्टिहटा, चुनार, मीरजापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07226 /C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/09/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

MS
66103124
(के.के.मौर्या)
वैजान्तिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मीरजापुर

6-3-24
(सुप्रमोडि)
प्र. नि. प्रदूषण
मीरजापुर

उपजिलाधिकारी,
चुनार, मीरजापुर


गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-------------|-----------|
| 1. | श्री नारायण | MS |
| 2. | शिव | M |
| 3. | | |

6434

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स श्री बजरंग स्टील, सॉपी देई, परिहटा, युनार, मिर्जापुर के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स श्री बजरंग स्टील, सॉपी देई, परिहटा, युनार, मिर्जापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या-H-07227/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी0227/ओ0ए0 संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
(के.के. मौर्या)

जिलाधिकारी, लखनऊ

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ


6-3-24
(वृत्तीय सिई)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मीरजापुर


उपजिलाधिकारी
युनार, मिर्जापुर


गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री गौरव सिई |  |
| 2. | | |
| 3. | | |

6435

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स राजेश भार्गव, पीटल (स्टील क्लार मुनिर) आर०के० मोर्या के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-



मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स राजेश भार्गव, पीटल (स्टील क्लार मुनिर) आर०के० मोर्या के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या- H-07221/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी०227/ओ०ए० संख्या-521/2022/2023 दिनांक-04.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06/03/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुगुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


06/03/24
(कै०के० मोर्या)
वैज्ञानिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


6-3-24
(कै०के० मोर्या)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


उपजिलाधिकारी,
मुन्नार मीरजापुर

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

| क्र०सं० | नाम | हस्ताक्षर |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री राहुल |  |
| 2. | श्री शिवकुमार |  |
| 3. | | |

1. Nilama Singh



2. Rajesh Bhai Patel 180/2



3. Elite Stone



4. Ganga Sagar Singh



5. Raju Stone Products



6. New Asthbhuja Stone



7. Riya Entetprises



8. Rajesh Bhai Patel 704mi



9. Raj Laxmi Entetprises



10. Ideal Vision



11. Maa Shitla Stone



12. PBR Infratech Pvt Ltd



13. Uma Stone Works



14. Mahakal Construction



15. Satya Narayan Singh



16. Basant Kumar ex-name Raj Associates



17. Abhiyan Construction



18. SU Enterprises



19. Rauf khan



20. Sri Bajrang Stone



21. Sri Krishna Stone



कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

पत्रांक- G000 /O.A. No. 521/2022/2023

दिनांक- 04/03/2024

आदेश

खान अधिकारी,
मीरजापुर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के प्रकरण में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जिलास्तरीय समिति में निहित तथ्यों के आलोक में 40 पत्थर खनन परियोजनाओं के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्पश्चात् निर्धारित समयावधि ब्यतीत हो जाने के उपरान्त अद्यतन फैक्चुअल रिपोर्ट के आधार पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के विभिन्न पत्रों दिनांकित 19.02.2024 द्वारा 40 पत्थर खनन परियोजनाओं को बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश अधोहस्ताक्षरी को खनन परियोजना बन्द कराये जाने के अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है। उक्त की सूची एवं बन्दी आदेशों की प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्त प्रकरण की अग्रिम नियत सुनवाई तिथि 12.03.2024 से पूर्व प्रश्नगत 40 पत्थर खनन परियोजनाओं की बन्दी सुनिश्चित/खनिज का खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। उक्त की सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित किये जाने वाले पत्रालेख के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।



(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



जिलाधिकारी,
मीरजापुर।



6448

Annexures-6 (Pages-2)

JAI MAA DURGAE MIXTURE PLANT

Add - BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR

GST No.: 09AAPFJ6860Q1Z9

PAN No.: AAPFJ6860Q

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

विषय: मेसर्स जय माँ दुर्गे मिक्चर प्लांट, ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर की बैंक गारण्टी एवं अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच07257/सी-2/एन0जी0टी0-67/24 दिनांक-19.02.2024 की शर्त संख्या-12 के अनुसार रू0 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र की बैंक गारण्टी संख्या-594GT02240650001 दिनांक-05.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच07235/सी-2/एन0जी0टी0-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 706250/- (रू सात लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में दिनांक-04.03.2024 को जमा करा दिया गया है (यू0टी0आर0 संख्या-HDFCR 52024030485193467 की प्रति संलग्न)।

संलग्नक-यथोपरि।

दिनांक-04.03.2024

भवदीय

(संतोष कुमार सिंह)

पार्टनर मेसर्स जय माँ दुर्गे मिक्चर
प्लांट, मीरजापुर

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सन्तोष कुमार सिंह
(संतोष कुमार सिंह)

JF
Pls up
cc in
file.

07/03/2024

6449

Customers Copy

Received application for RTGS / NEFT for an amount of Rs.

₹ 20150201000210401 vide Cash / Cheque number

000152 to be credited to Account number 20150201000210401

000152 to be credited to Account number 20150201000210401

Bank with IFSC code 04110510158 Customers will be credited by the Terms

Under Request of Mr. H D F C I D Bank will accept no liability for any consequences arising out of erroneous

and Conditions mentioned in the form. HDFC Bank can also be placed using Netbanking

Request for MC / DC / RTGS and NEFT can also be placed using Netbanking

